ज्ञापांक 1833 /एक्स0पी0
एक्स0एफ0–02–2017

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 26/7/2018

सेवा में,

बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारी।

विषयः– **बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का वित्तीय वर्ष–2017–18 से संबंधित पी0ए0आर0 आलेखन के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सम्प्रति बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के पी0ए0आर0 आलेखन संबंधित गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक–5464, दिनांक–10.07.2012 में निर्धारित प्रावधान प्रभावी हैं, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2017–18 के पी0ए0आर0 आलेखन की कार्रवाई की जानी है। सम्प्रति SPARROW System के अन्तर्गत पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त विलम्ब को देखते हुए दिनांक–01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु पुराने प्रपत्र में पी0ए0आर0 आलेखन हेतु गृह विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है।

अतः निदेशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष–2017–18 के पी0ए0आर0 आलेखन हेतु पी0ए0आर0 प्रपत्र खण्ड–01 से संबंधित सूचना के साथ अविलम्ब अपना विहित प्रपत्र पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये ताकि खण्ड–1 निर्गत करने से संबंधित आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न की जा सके।

26.7.18

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–

1. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित)/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित)/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जिला/रेल/इकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. आई0टी0, प्रबंधक, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

26.7.18

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner